भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1157
गुरुवार, दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आवासीय क्षेत्रों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)</u>

1157. श्री मद्दीला गुरूमूर्तिः
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में छतों पर (रूफटॉप) ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पहल के अंतर्गत राज्य विशिष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इससे प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश के विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को अपनाए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) रूफटॉप सौर (आरटीएस) के लिए आवासीय क्षेत्र को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और डिस्कॉम को प्रोत्साहन देने के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II कार्यान्वित कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश से आन्ध्र प्रदेश इस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एपीईपीडीसीएल) कार्यक्रम में भाग ले रही है और विगत तीन वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22) और वर्तमान वर्ष (2022-23, दिनांक 31.01.2023 तक) के दौरान कार्यक्रम के तहत एपीईपीडीसीएल को सीएफए के रूप में 2.14 करोड़ रु. और प्रोत्साहन के रूप में 5.64 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II मांग आधारित है। विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त मांग के आधार पर, आवासीय क्षेत्र में आरटीएस की स्थापना के लिए इन राज्य कार्यान्वय एजेंसियों को 3.41 गीगावाट की समग्र क्षमता आवंटित की गई है, जिसकी तुलना में दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार 1.65 गीगावाट स्थापित किए जाने की सूचना दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ङ) और (च): ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने के लिए एमएनआरई विभिन्न उपाय कर रहा है, जिसमें अन्य के साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

- आवासीय क्षेत्र के लिए सीएफए के साथ रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II तथा पिछले वर्ष की स्थापित आरटीएस क्षमता के अलावा वर्ष में अतिरिक्त आरटीएस क्षमता हासिल करने के लिए डिस्कॉम के लिए स्लैबों में प्रोत्साहन की शुरुआत।
- कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत करना, जिसमें देश के किसी भी भाग से आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है और अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उपभोक्ताओं के समूह के लिए वर्चुअल नेटमीटरिंग के तहत आरटीएस संयंत्रों के लिए सीएफए प्रदान करना।
- डिस्कॉम स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल का विकास तथा आरटीएस परियोजनाओं से संबंधित मांग का एकत्रीकरण।
- सरकारी क्षेत्र में आरटीएस परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मॉडल एमओयू, पीपीए और कैपेक्स करार तैयार करना।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमावली, 2020 जारी की गई है।
- त्वरित परियोजना अनुमोदन, रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा आरटीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया।
- विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से रियायती ऋणों की सुविधा।
- आरबीआई के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण देने संबंधी दिशानिर्देशों के तहत अक्षय ऊर्जा को शामिल किया गया।
- वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) की ट्रैजेक्ट्री की घोषणा।
- सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली/उपकरणों की स्थापना करने के लिए गुणवत्ता के मानक अधिसूचित किए गए।
- आरटीएस के लिए नवोन्मेष कार्य मॉडल निर्धारित किए गए।
- विभिन्न माध्यमों से सूचना और जन जागरुकता गतिविधियाँ।

अनुलग्नक

'आवासीय क्षेत्रों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)' के सबंध में पूछे गए दिनांक 09.02.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1157 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आरटीएस कार्यक्रम चरण-II के तहत आवासीय क्षेत्र में आवंटित आरटीएस क्षमता और उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित नेट आरटीएस क्षमता (मेगावाट)	31.12.2022 की स्थिति के अनुसार सूचित स्थापित की गई आरटीएस क्षमता (मेगावाट)
1.	अंडमान और निकोबार	1	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	8	0.915
3.	असम	3.75	0.196
4.	बिहार	25	2.041
5.	चंडीगढ़	35	18.051
6.	छत्तीसगढ़	19	0.501
7.	गोवा	20	0.1
8.	गुजरात	1,937.08	1355.61
9.	हरियाणा	51.5	26.402
10.	हिमाचल प्रदेश	15	0.78
11.	जम्मू और कश्मीर	220	0.345
12.	झारखंड	28.38	0.971
13.	कर्नाटक	33	0.106
14.	केरल	360.9	94.35
15.	मध्य प्रदेश	58.2	22.308
16.	महाराष्ट्र	133.5	12.176
17.	मणिपुर	2	0.178
18.	मेघालय	10	0
19.	मिजोरम	1.5	0.19
20.	नागालैंड	3.8	0
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	35.5	2.677
22.	ओडिशा	20	0.003
23.	पुडुचेरी	5	0.006
24.	पंजाब	33.4	16.921
25.	राजस्थान	100	36.27
26.	सिक्किम	2	0
27.	तमिलनाडु	10	0.75
28.	तेलंगाना	71.42	25.762
29.	त्रिपुरा	1	0
30.	उत्तराखंड	22	10.763
31.	उत्तर प्रदेश	121.2	23.703
32.	पश्चिम बंगाल	20	0
कुल		**3,408.13**	**1652.074**

*****